

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2013—पौष 2, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

अधि. क्र. 68-एफ-1-33-13-अठारह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 67 एफ 1-33-2013-अठारह-3 जो कि “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 503, दिनांक 6 नवम्बर 2013 में प्रकाशित हुई है, में निम्नानुसार सुधार किया जाता है :—

1. प्रारूप—एक के शीर्षक में अंकित “मतदाताओं की सूची-1994” के स्थान पर “मतदाताओं की सूची” पढ़ा जाए,
2. प्रारूप—एक में मतदाताओं की सूची के नीचे अंकित तालिका के कॉलम (5) में अंकित “पुरुष / महिला” के स्थान पर “पुरुष / महिला / अन्य” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.